आखिरी जांच: 6 अक्टूबर 2026 · Health and Family Welfare Department

Niramaya Free Medicines Distribution Scheme (Odisha)

ओडिशा सरकारी अस्पतालों में पंजीकृत मरीज़ों को दवा वितरण काउंटर से निःशुल्क दवाएँ देता है। यह निरामय योजना 1 मई 2015 से चल रही है।

क्या मिल सकता है

ओडिशा के सरकारी अस्पतालों में पंजीकृत मरीज़ों को डॉक्टर की लिखी दवाएँ निःशुल्क मिलती हैं। सूची में 317 आवश्यक दवाएँ, 107 जीवन रक्षक कैंसर दवाएँ, 20 गैर-ईडीएल सामग्री और 83 चिकित्सा उपभोग्य, सर्जिकल सामान और टाँके शामिल हैं, जो हर तरह की संस्था के लिए तय हैं। 7 दिन के पर्चे पर पूरे 7 दिन की दवा मिलती है, और पुराने रोगियों को एक बार में एक महीने तक की दवा मिल सकती है।

किसके लिए है

ओडिशा के सरकारी अस्पतालों में पंजीकृत मरीज़, जिन्हें वहाँ लिखी दवाएँ चाहिए।

मुख्य शर्तें

- आपका सरकारी अस्पताल में मरीज़ के रूप में पंजीकृत होना ज़रूरी है।
- दवाएँ डॉक्टर के पर्चे के अनुसार दी जाती हैं; विशेष पुराने रोगों में एक बार में एक महीने तक की दवा दी जा सकती है।
- ओएसटीएफ, आरएसबीवाई या बीकेकेवाई से मदद ले रहे मरीज़ भी निरामय की दवाओं के पात्र हैं।
- मेडिकल कॉलेज, बड़े स्वास्थ्य संस्थान, ज़िला मुख्यालय अस्पताल और अनुमंडल अस्पताल में कम से कम एक दवा वितरण काउंटर 24 घंटे चलता है; सीएचसी में काउंटर ओपीडी के समय पर चलता है।

आवेदन कैसे करें

1. सरकारी अस्पताल में मरीज़ के रूप में पंजीकरण कराएँ।
2. डॉक्टर से परामर्श लें और पर्चा बनवाएँ।
3. अस्पताल के दवा वितरण काउंटर से दवाएँ लें।
4. दवाओं की कमी की शिकायत ब्लॉक स्तर पर प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, अनुमंडल चिकित्सा अधिकारी, या ज़िला स्तर पर सीडीएमओ या एडीएमओ (मेडिकल) से करें।

स्थिति

चालू

आधिकारिक स्रोत: https://www.e-niramaya.odisha.gov.in/FAQ.html
Labh Lo पेज: https://labhlo.in/hi/schemes/odisha/od-niramaya-free-medicines/

Labh Lo सारांश। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है।
Labh Lo एक स्वतंत्र जानकारी देने वाला मंच है। यह PDF एक सारांश है। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है। पात्रता और मंज़ूरी का अंतिम फैसला सरकारी विभाग करता है। आवेदन से पहले आधिकारिक स्रोत जांचें।